राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

दायर दिनांक 16.09.2022

राजस्व वाद संख्या 72/22

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. सुरजकरण पुत्र हीरा जाति जाट निवासी ग्राम सुरसुरा तह0 रूपनगढ़ — वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर — प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 1955, धारा 136 रा–भू0रा0अधि0 1956

दिनांक 21.12.2022

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 1321 के ख0न0 1878, 2717/1877 कुल खसरा 2 रकबा 3.0903 है0 में वादी का गलत नाम सूजा पुत्र हीरा का राजस्व रिकार्ड अनुसार सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज है। वाद वर्णित आराजीयात में राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी का सम्पूर्ण हिस्सा अन्तर्निहित है। कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी का सम्पूर्ण हिस्सा वादी का नाम सूजा पुत्र अन्तर्निहित है। उक्त कृषि भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार सूजा पुत्र हीरा का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम सूरजकरण पुत्र हीरा है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नामान्तरकरण खोलते समय वादी को जानकारी नहीं थी क्योंकि वादी अशिक्षित है व वादी को जमीन के नामान्तरकरण की समझ नहीं थी। इसलिए राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत हुआ नाम सूजा पुत्र हीरा के स्थान पर सूरजकरण पुत्र हीरा का नाम इन्द्राज कर दुरूस्ती करवाना चाहते है। वादी की कृषि भूमि में गलत नाम सूजा पुत्र हीरा अंकित हो जाने से किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार द्वारा दिये जानी वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करनें में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी का नाम घोषणात्मक डिक्री व इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सूजा पुत्र हीरा के नाम को शुद्धिकरण करवा कर वादी का नाम सुरजकरण पुत्र हीरा के नाम से इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के लिए वाद पत्र न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम सुरसुरा की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार संवत 2070–73 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या नया 1321 के ख0न0 1878 रकबा 2.4270 है0, ख0न0 2717/1877 रकबा 0.6633 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.0903 है0 भूमि में वादी सूजा पुत्र हीरा जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया है। वकील वादी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया तदुपरान्त वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल, ग्राम पंचायत सुरसुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होना है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के खाता संख्या नया 1321 के ख0न0 1878 रकबा 2.4270 है0, ख0न0 2717/1877 रकबा 0.6633 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.0903 है0 भूमि में वादी के दर्ज नाम सूजा पुत्र हीरा के स्थान पर सूरजकरण पुत्र हीरा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:31:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 72/22 दायर दिनांक 16.09.2022

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. सुरजकरण पुत्र हीरा जाति जाट निवासी ग्राम सुरसुरा तह0 रूपनगढ़

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

प्रतिवादी

वांद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 1955 , धारा 136 रा–मू0रा0अधि0 1956

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर डिक्री किया जाकर ग्राम सुरसुरा के खाता संख्या नया 1321 के ख0न0 1878 रकबा 2.4270 है0, ख0न0 2717/1877 रकबा 0.6633 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.0903 है0 भूमि में वादी के दर्ज नाम सूजा पुत्र हीरा के स्थान पर सूरजकरण पुत्र हीरा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.12.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:31:04 IST
Reason: SelfAttested